फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर ([redacted]) आमेर मुख्यालय जयपुर

रामस्वरूप बनाम सांवर मल व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या 42/2024

क स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	9/7/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की अन्तिम बहस सुनी गई। अपार्थी अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत व दस्तावेज सूचि पेश की। प्रार्थी अधिवक्ता ने भी दस्तावेजी सूचि पेश की। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/7/2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. [redacted]
	18/7/2024	पत्रावली आज दिनांक 18/7/2024 को पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है, पत्रावली दिनांक 22/7/2024 को पेश हो।
	22/7/2024	पत्रावली आज दिनांक 22/7/24 को पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है, पत्रावली पूर्ववत् दिनांक 25/7/2024 को पेश हो।
	25/7/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

नियमित प्रा. पत्र संख्या – 42/2024 प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक –24.06.2024

रामस्वरूप पुत्र चंदा पौत्र जमना राम जाति जाट निवासी बाड जाहोता, ग्राम मोडी, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

बनाम

1. सांवरमल पुत्र बंशीधर पौत्र रूडाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोडी, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक कार्यालय रामपुरा डाबडी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

1. **श्री बंशीधर जाट – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से**
2. **श्री सोमेश चन्द शर्मा – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से**

दिनांक 25.07.2024

निर्णय

हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अंकित किया है कि वाके ग्राम जयरामपुरा, पटवार क्षेत्र जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में खसरा नंबर 155 रकबा 0.88 हैक्टेयर की हाल खातेदारी सांवरमल पुत्र बंशीधर के नाम है। इससे पूर्व संवत् 2076 से 2079 में बंशी पुत्र जमना के नाम दर्ज थी जो उपहार पत्र के द्वारा अप्रर्थी संख्या 1 नाम दर्ज कर दी गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम जयरामपुरा में स्थित है जो प्रार्थी के दादा जमनाराम पुत्र रघुनाथ की कब्जे काश्त की भूमि थी तथा उक्त भूमि व अन्य खातेदारी भूमियों के साथ प्रार्थी व प्रार्थी के पिता जमनाराम के जीवनकाल से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं और आज भी मौके पर हिस्सानुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात 155 रकबा 0.88 हैक्टेयर की खातेदारी संवत् 2076 से 2079 में बंशी पुत्र जमना के नाम दर्ज थी प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात को दुरूस्त करवाकर स्वयं के पुत्र सांवरमल पुत्र बंशीधर के नाम दर्ज करवा ली गई जबकि बंशीधर के पिता का नाम रूडाराम है तथा जमनाराम दादा का नाम है जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात जमनाराम के कब्जे काश्त की थी जिसको चालाकी पूर्वक राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों से सांठ–गांठ कर अप्रार्थी संख्या 1 के पिता बंशीधर ने गलत वल्दियत अंकित कर स्वयं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा ली जिसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। वादपत्र मे वर्णित उपरोक्त आराजीयात में 1/2 हिस्से की खातेदारी स्वयं के नाम करवाये इसलिए प्रार्थी

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

द्वारा यह वाद पत्र बाबत् घोषणा खातेदारी अधिकारों बाबत् माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बिना अधिकार व कब्जे काश्त के ही बंशी पुत्र जमन लाल गलत वल्दियत दर्ज होने के बाद भी बेनुमाईसी उपहार पत्र स्वयं के पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 के नाम करवा दिया गया। जिसे निरस्त करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त वाद पत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा के बाबत् माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रार्थी अधिकारी है कि अप्रार्थीसंख्या 1 के हक में किये गये उपहार पत्र को प्रार्थी के हिस्से तक प्रभावशून्य घोषित किया जावे तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसलिए प्रार्थी द्वारा वाद दुरूस्ती इंद्राज का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। वादकारण दिनांक 08.06.2024 को अप्रार्थीसंख्या 1 द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजामहत मदाखलत कारित करते हुए प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी कि उक्त आराजीयात से अपना कब्जा खाली कर लो उक्त आराजी का मैंने मेरे पक्ष में उपहार पत्र करवा लिया है और इसे बेचान कर कब्जा क्रेता को सुपुर्द करूगा। इससे प्रार्थी को यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में हाल जमाबंदी ग्राम जयरामपुरा संवत् 2076 से 2079 तक एवं संवत 2068 से 2071 तक की प्रमाणित प्रति, बंशीधर का पहचान पत्र एवं सांवरमल जाट का आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत जरिये रजिस्टर्ड एडी तलवी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। हस्तगत जवाब प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त उनवानी वाद बाबत् घोषणा इंद्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जाकाश्त व मालिकाना हक सदा से ही प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पूर्वज पिता बंशीधर के अलावा अन्य किसी का कभी नहीं रहा इसलिए प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा सफलता की आशा किया जाना पूर्णतया व्यर्थ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित मद संख्या 2 जिस प्रकार से तहरीर की गई है वह इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि "इससे पूर्व संवत् 2076 से 2079 में प्रार्थी के पिता बंशीधर पुत्र रूडाराम के नाम दर्ज थी लेकिन बंशीधर के पिता के स्थान के नाम पर सहवन से बंशीधर के दादाजी जमनाराम का नाम दर्ज चला आ रहा था" बंशीधर अप्रार्थी संख्या 1 के पिता द्वारा जरिये उपहार पत्र उक्त मद में वर्णित खातेदारी भूमि को मिन अप्रार्थी को हस्तान्तरित कर दिया गया। उक्त मद में वर्णित

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

शेष कथन विवादित नहीं होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार से तहरीर की गई है वह स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है। मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात की भूमि किसी प्रकार से विवादित नहीं है व प्रार्थी के द्वारा नाजायज तरीके से उक्त भूमि को विवादित करने के आशय से प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से तहरीर की गई है वह असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थी के द्वारा जमनाराम पुत्र रघुनाथ के कब्जेकातश की भूमि नहीं थी। न ही उक्त भूमि अन्य खातेदारी भूमियों के साथ प्रार्थी व प्रार्थी के पिता जमनाराम के जीवनकाल से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे। बल्कि वास्तविकता यह है कि उक्त उनवानी प्रार्थी रामस्वरूप बनाम सांवरमल वगैरह के मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी सांवरमल के पिता बंशीधर पुत्र रूडाराम को आवंटित की गई भूमि थी लेकिन मिन अप्रार्थी के पिता के नाम की जगह रूडाराम के स्थान पर जमना दर्ज हो गया था जिसका नाजायज फायदा उठाने की गरज से उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनाधीन भूमि से प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है, ना ही कब्जाकाश्त है, ना ही प्रार्थी के द्वारा कभी उपयोग उपभोग किया गया है। प्रार्थी के द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से तहरीर की गई वह असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी के द्वारा उक्त मद में समस्त कथन मिथ्या व मनगढंत दर्ज किये गये है जिसका वास्तविकता से किसी प्रकार का संबंध सरोकार नहीं है। मिन अप्रार्थी संख्या 1 के पिता को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उक्त वर्णित कृषि भूमि आवंटित की गई थी जिसका कि उपयोग उपभोग मिन अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के द्वारा किया जाता रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में मिन अप्रार्थी के पिता का नाम ही दर्ज किया गया। उक्त मद में प्रार्थी ने प्रार्थी के पिता के संबंध में मिथ्या अभिवचन किये है जिसका कि वास्तविकता से किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी के पिता के द्वारा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज खातेदारी भूमि को किसी प्रकार से भी अवैध तरीके से स्वयं के नाम दर्ज नहीं करवाया गया बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रार्थी के पिता के नाम काश्त के लिए भूमि आवंटित की गई थी। प्रार्थी के द्वारा उक्त मद में उक्त आराजीयात को दुरूस्त करवा स्वयं के नाम आधे हिस्से की खातेदारी हेतु कहने के भी मिथ्या अभिवचन दर्ज किये गये है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में जिस प्रकार से तहरीर की गई है वह स्वीकार नहीं है, अस्वीकार हैं। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की मद में वर्णित भूमि के संबंध में किसी प्रकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, ना ही उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का आधा हिस्सा है, जिसकी प्रार्थी माननीय न्यायालय से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी हो। प्रार्थी के द्वारा नाजायज तरीके से ब्लैकमेल कर नाजायज

सहायक कलक्टर
उत्तर मु. जयपुर

रूप से मिन अप्रार्थी से रकम हडपने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है बल्कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार से तहरीर की गई है वह असत्य होने के कारण अस्वीकार है। उक्त मद में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित ग्राम जयरामपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में खसरा नंबर 155 रकबा 0.88 हैक्टेयर की हाल खातेदारी सावरमल पुत्र बंशीधर के नाम है। उक्त कृषि भूमि की खातेदारी कभी भी जमनाराम पुत्र रघुनाथ के नाम दर्ज नहीं रही न ही जमनाराम पुत्र रघुनाथ का उक्त कृषि भूमि में से किसी प्रकार को कोई संबंध व सरोकार रहा है। इसलिए उक्त मद में वर्णित समस्त अभिवचन स्वत ही मिथ्या साबित हो जाते हैं। मिन अप्रार्थी संख्या 1 के पिता बंशीधर के द्वारा अपने पुत्र के हक में उपहार पत्र नुमाईश नहीं किया गया है बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने कब्जेकाश्त की खातेदारी की भूमि जिसके की मिन अप्रार्थी के पिता एक मात्र मालिक, स्वामी व अधिकारी रहे उन्हें उक्त वर्णित कृषि भूमि का हर प्रकार से हस्तान्तरित करने के अधिकार प्राप्त थे। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी को माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की घोषणा करवाये जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ना ही उक्त वर्णित कृषि भूमि के उपहार पत्र को प्रार्थी के द्वारा किसी हिस्से तक शून्यप्रभावी घोषित करवाने का अधिकार प्राप्त है, ना ही कोई हिस्सा दुरूस्त करवाया जाकर प्रार्थी को स्वयं के नाम दर्ज करवाने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी के द्वारा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के, बिना किसी हक व अधिकार के राजस्व रिकॉर्ड के विपरित जाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं है बल्कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 जिस प्रकार से तहरीर की गई है वह असत्य होन के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के संबंध में वास्तविक स्वामी के विरूद्ध प्रार्थना प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये। प्रार्थी का उक्त मद में यह कहना गलत है कि प्रार्थी विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि पर ना तो कब्जा है, ना ही प्रार्थी के द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर कभी कोई काश्त की गई है, ना ही प्रार्थी का उपयोग उपभोग रहा है। प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि के कब्जोकाश्त, उपयोग, उपभोग में मिन अप्रार्थी संख्या 1 के हक में अधिकारों के प्रति माननीय न्यायालय से मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से माननीय न्यायालय से पाबंद करवाये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है बल्कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 जिस प्रकार से तहरीर की गई है वह असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी के द्वारा उक्त मद में वर्णित तथाकथित दिनांक मिथ्या प्रार्थना कारण उत्पन्न करने के लिए दर्ज की गई है। जिसका वास्तविकता से लेसमात्र भी

सहायक कलक्टर
जयपुर

संबंध नहीं है प्रार्थी को भिन्न अप्रार्थी के पिता के मालिकाना हक व स्वामित्व की जानकारी प्रारंभ से ही रही है तत्पश्चात प्रार्थी के पिता द्वारा दिनांक 21.07.2021 को जरिये उपहार पत्र भिन्न अप्रार्थी को हस्तान्तरण कर दिये जाने की जानकारी प्रार्थी को रही लेकिन भिन्न अप्रार्थी के द्वारा भिन्न अप्रार्थी के कब्जेकाश्त व स्वामित्व की भूमि को विवादित करने के आशय से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थी को कभी भी वादकारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है ना प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का ना तो कभी कब्जाकाश्त रहा ना ही उपयोग उपभोग रहा और ना ही किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रार्थी व उसके पूर्वजों के नाम कब्जेकाश्त के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में ना होकर भिन्न अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने नकल जमाबंदी खाता संख्या 271 पुराना 257 खसरा नंबर 155 ग्राम जयरामपुरा संवत 2076- 2079 (वर्ष 2023) प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल नक्शा ट्रेस, शपथ पत्र बंशी पारिसान, फोटोप्रति बख्शीशनामा सांवरमल के हक में, खसरा मिलान क्षेत्रफल फोटोप्रति, पंजीकृत विक्रय पत्र,जमाबंदी बंशीधर संवत् 2064, जमाबंदी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश किये।

उभयपक्षीय विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन में RRT 2024(1) PAGE 105 DNJ (1) 2024(1) PAGE 371, RBJ 2019 PAGE 129 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस एवं जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में 2013(1) RRT 123, 2014(2) RRT 1301, 2014(1) RRT 523, 2014(1) RRT 525, 2009(2) RRT 1398, 2009(2) RRT 1400, 2006(1) RRT 623, 2006(1) RRT 626 न्यायिक दृष्टांत एवं फोटो प्रति आवंटन पत्र दिनांक 26.09.1973 पेश किये। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। प्रार्थी का मुख्य अभिवचन रहा है कि सजरा खानदान में जमनालाल प्रार्थी के दादा थे तथा विवादित आराजीयात जमनालाल के कब्जे काश्त की भूमि थी। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात 155 रकबा 0.88 हैक्टेयर की खातेदारी संवत् 2076 से 2079 में बंशी पुत्र जमना के नाम दर्ज थी। बंशी पुत्र जमना लाल गलत वल्दियत दर्ज की गई। बंशी पुत्र जमना लाल गलत वल्दियत दर्ज होने के बाद भी बेनुमाईशी उपहार पत्र स्वयं के पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 के नाम करवा दिया गया। विवादित आराजी पैतृक कृषि भूमि है।

सहायक कलेक्टर

परन्तु वादी / प्रार्थी द्वारा जमनालाल के वारिसान के सबंध में ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नही किया जिससे जमनालाल के वारिसान की पहचान की जा सके एवं यह साबित हो कि विवादित आराजी जमनालाल के नाम दर्ज रही हो। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने कब्जे के सबध मे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जबकि उक्त आराजी अलोटमेण्ट व नियमन समिति द्वारा उप जिलाधीश आमेर, जयपुर द्वारा बंशी पुत्र जमना को अलोट की गई है। जिसकी छायाप्रति अप्रार्थी ने पेश की है। अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार है। उक्त परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहे कि उक्त आराजी प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT 2024(1) PAGE 105 DNJ (1) 2024(1) PAGE 371, RBJ 2019 PAGE 129 भी इस प्रकरण में पूर्ण रूप से लागू नहीं होते है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। रिकॉर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नही होता है जिसके सबंध में न्यायिक दृष्टांत 2013(1) RRT 123 मे अंकित किया गया है कि *Temporary Injection application dismissed Order affirmed in appeal Non petitioner is recorded khatedar of the land.* तथा *2014(2)RRT 1301, 2014(1) RRT 523* में अंकित किया गया है कि *No T.I. can be granted against the recorded khatedar in absence of possession.* फलस्वरूप दौराने बहस उल्लेखित किये गये तथ्यो व जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेज में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। जहाँ तीनों बिन्दुओं में से एक भी बिंदू का अभाव हो, वहाँ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया, तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर